

यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर. ए. एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या : 25 / 2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं

— प्रार्थी

बनाम

सोमवीर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी कलवा थाना बुहाना

— अप्रार्थीगण

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. लोक अभियोजक सरकार की ओर से।

—: निर्णय :-

दिनांक : 12.11.2020

सक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं ने दिनांक 06.10.2020 को इस्तगासा पेश किया कि गैर सायल सोमवीर पुत्र धर्मसिंह, जाति जाट, उम्र 28 साल, निवासी कलवा, थाना बुहाना का रहने वाला है जो एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। उक्त व्यक्ति ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से ग्राम कलवा के लोगो को भयभीत व आतंकित कर रखा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, जो अवैध शराब बेचने का आदि है जिससे युवा पीढी में नशे की लत होने का भय है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिये तैयार है। गैर सायल का ग्राम कलवा में भय व्याप्त है। गैर सायल वर्तमान में भी अवैध शराब से संबंधित अपराध करने में लिप्त है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 04

48

अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं



अभियोग दर्ज किये गये है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	मु0न0	दर्ज दिनांक	धारा	नाम थाना	सी.एस.न0 व दिनांक	चालान पेश की दिनांक	निर्णय
1.	मु0न0 19/19	19.01. 19	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 30 दिनांक 23.03.19	24.09.19 जेएफ नं. 241/19	फैसला दिनांक 16.10. 19 सजा 5 हजार के जमानत मुचलको पर एक साल सदाचार (नेकचलनी) के लिये पाबन्द व 1000 रु जुर्माना
2.	मु0न0 238/17	06.11. 17	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 166 दिनांक 17.11.17	18.12.17 जेएफ नं. 1219/17	जैर ट्राईल
3.	मु0न0 134/14	22.10. 14	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 119 दिनांक 29.11.14	20.01.15 जेएफ नं. 58/15	जैर ट्राईल
4.	मु0न0 259/13	27.11. 13	19/54 आबकारी अधिनियम 1950	बुहाना	सी.एस.न0 152 दिनांक 14.12.13	12.08.14 जेएफ नं. 859/14	फैसला दिनांक 21. 09.19 सजा 10 हजार के जमानत मुचलको पर एक साल सदाचार (नेकचलनी) के लिये पाबन्द व 1000 रु जुर्माना

इस प्रकार गैर सायल सोमवीर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी कलवा थाना बुहाना का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) की पूर्ण परिभाषा में आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 03.11.2020 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का मौखिक सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल

द्वारा स्वैच्छा से स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में गवाहन को तलब किये जाने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। प्रकरण में बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना बुहाना जिला झुन्झुनू में एकाधिक अभियोग दर्ज होकर उनमें गैर सायल दोष सिद्ध हुआ है। जिसके कारण गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अधीन अपराध करने के कारण गुण्डा की तारिफ में आता है। अतः इसे पुलिस थाना बुहाना जिला झुन्झुनू की समस्त सीमाओं से निष्कासित किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान एपीपी-1 की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों के मुताबिक गैर सायल सोमवीर पुत्र धर्मसिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कुल 04 प्रकरण दर्ज होकर उनमें से 02 में गैर सायल दोष सिद्ध हुआ है। तथा 02 मुकदमें विचाराधीन हैं। जिनकी प्रमाणित प्रतियां इस्तगासे के साथ संलग्न हैं। गैर सायल सोमवीर पुत्र धर्मसिंह द्वारा 04 बार ऐसा अपराध करने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यु होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त हैं। अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित सूचना पर राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैर सायल अगर इस क्षेत्र में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति तथा युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान-माल को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी स्थिति में इस्तगासा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 में अंकित विश्वास के कारणों के चलते गैर सायल सोमवीर पुत्र धर्मसिंह को बुहाना थाना क्षेत्र से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैर सायल सोमवीर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी कलवा थाना बुहाना को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के तहत 15 दिवस की

48
अति. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

अवधि के लिए पुलिस थाना बुहाना की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुंझुनू के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा उक्त 15 दिवस की अवधि में जहां भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुंझुनू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना बुहाना, जिला झुंझुनू को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना, बुहाना, जिला झुंझुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 12.11.2020 के पश्चात 1 माह के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

१४
अतिरिक्त (सिजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
झुंझुनू(राज.)

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



१४
अतिरिक्त (सिजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
झुंझुनू(राज.)